फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

:–श्री भेरा बनाम विपक्षी :– श्री देवा

। मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 57 / 24

क

कार्यवाही विवरण

दिनाक 12.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजस्वकार उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित। आवाज दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब नहीं दिया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा प्रकरण में पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा सबंधित विवाद रहता है जिससे प्रार्थीगण सीमांकन कराना चाहते है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा माण्डकला पटवार हल्का सिहाड, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 52 की आराजी न. 1203 किता 01 रकबा 0.1300 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढ़ी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढ़ी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेंगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:51:20 IST
Reason: SelfAttested